पी.एन.जी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर

प्रवेश विवरणिका

(सत्र 2026-2027)

पी.एन.जी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रामनगर (नैनीताल), उत्तराखण्ड

पिन कोड - 244715

फोन/फैक्स: 05947251326 | ईमेल: principal_pngrmr@yahoo.co.in

वेबसाइट: www.gpgcramnagar.org

❖ Vision of The College

To impart holistic education based on the gospel values of love, justice, equality and peace to students from all strata of society and enable them to develop as intellectually matured morally upright, socially responsible and spiritually inspired leaders to serve the society and the nation.

❖ Mission of The College

- To build a Knowledge and learning institution to serve the voluntary and professional sector From our experiences gleaned from different courses.
- To pilot UGC curriculum based on contemporary thinking and through action, learning and research to refine the process of techno-scientific achievements.
- To promote the creation of civic institution and voluntarism within communities.
- To promote Indian philanthropy both at the individual and social level to benefit the least advantaged section of society.
- To shape the students into agents of social change by incorporating the values of good Citizen, scientific temperament and rational thinking.
- The learning processes and experiences are geared to liberate, transform and empower the learner and the learned (Teachers).

1-परिचय

गढ़वाल एवं कुमाऊँ के प्रवेश द्वार पर अवस्थित रामनगर, प्रदेश के दोनों मण्डल कुमाऊँ तथा गढ़वाल के सीमावर्ती पर्वतीय अंचल की उच्च शिक्षा की आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति को अग्रसर पी.एन.जी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना अगस्त 1975 में नगर के संभ्रांत निवासियों द्वारा एक अशासकीय महाविद्यालय के रूप में की गयी। अगस्त 1976 में शासन द्वारा इस महाविद्यालय का राजकीयकरण किया किया गया। स्नातक स्तर पर कला वर्ग के छः विषयों से प्रारम्भ हुआ।

यह महाविद्यालय वर्तमान में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकाय के 17 विषयों में स्नातक तथा 14 विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहा है। विभिन्न विभागों में शोधार्थी शोध कार्यों में संलग्न हैं। महाविद्यालय में 06 व्यावसायिक पाठ्यक्रम - इको टूरिज्म, पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन, कार्यालय प्रबन्धन, पर्यटन अध्ययन, कम्प्यूटराइज्ड एकाउंटिंग में डिप्लोमा तथा योग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का संचालन किया जा रहा है। स्ववित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में बी.एड. पाठ्यक्रम भी 2008-09 से संचालित किया जा रहा है।

ऐसे छात्र जो नियमित रूप से कक्षा में नहीं जा पाते हैं उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अन्तर्गत यह सुविधा इस महाविद्यालय में उपलब्ध है। महाविद्यालय की कुल छात्र संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। महाविद्यालय में प्राध्यापकों के 50 पद स्वीकृत हैं जिसमें 39 पदों में पूर्ण कालिक व 10 पदों में संविदा तथा अतिथि प्राध्यापक कार्यरत हैं। गत वर्षों में महाविद्यालय का परीक्षाफल सराहनीय रहा।

2- महाविद्यालय में विविध संकायों के अंतर्गत अध्ययन हेतु उपलब्ध विषय

स्नातक स्तर

विज्ञान संकाय - भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, गणित, भूगोल

कला संकाय - हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, संगीत।

वाणिज्य संकाय - समस्त सम्बन्धित विषय।

स्नातकोत्तर स्तर

विज्ञान संकाय - रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, गणित एवं भौतिक विज्ञान।

कला संकाय - हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं इतिहास।

वाणिज्य संकाय - एम.कॉम.

व्यावसायिक कक्षाएँ (डिप्लोमा / पी-जी- डिप्लोमा कोर्स / सर्टिफिकेट कोर्स)

1. योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा	(60 सीट)
2. पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन	(40 सीट)
3. पर्यटन अध्ययन	(40 सीट)
4. कार्यालय प्रबन्धन एवं सचिवीय पद्धति	(40 सीट)
5. कम्प्यूटरॉइड एकाउंटिंग	(40 सीट)
6. इको टूरिज्म	(40 सीट)
7. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम - शिक्षा स्नातक (बी.एड.) (सेमेस्टर प्रणाली)	(54 सीट)

❖ मानकानुसार स्नातक (प्रथम वर्ष) में प्रवेश हेतु अधिकतम छात्र संख्या:

बी.ए. (B.A.)	बी.कॉम. (B.Com.)	बी.एससी. - गणित (B.Sc. Maths)	बी.एससी. - जीव विज्ञान (B.Sc. Bio)
1040	560	168	168

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा नियुक्त निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के आधार पर स्नातक (प्रथम वर्ष) की विषयवार संख्या:

विषय (Subject)	**संस्तुत छात्र संख्या (Recommended Seats)**
हिन्दी (Hindi)	416
अंग्रेजी (English)	312
संस्कृत (Sanskrit)	104
इतिहास (History)	312
राजनीति विज्ञान (Political Science)	312
अर्थशास्त्र (Economics)	312
समाजशास्त्र (Sociology)	416
भूगोल (Geography)	312
मनोविज्ञान (Psychology)	416
गृह विज्ञान (Home Science)	104
संगीत (Music)	104
भौतिकी (Physics)	168
रसायन विज्ञान (Chemistry)	336
वनस्पति विज्ञान (Botany)	168
जन्तु विज्ञान (Zoology)	168
गणित (Mathematics)	168
वाणिज्य (Commerce)	560

3-प्रवेश प्रक्रिया

1- प्रत्येक कक्षा में प्रवेश लेने के लिए समर्थ पोर्टल की वेबसाइट (https://ukadmission.samarth.ac.in) पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों का विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट: www.gpgcramnagar.org पर उपलब्ध है।

2- समस्त प्रवेशार्थी प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन पत्र की hard copy एवं समस्त अर्ह प्रमाण पत्रों की छायाप्रति (मूल प्रमाणपत्रों सहित) महाविद्यालय प्रवेश समिति के समक्ष निर्धारित तिथि को, जो कि महाविद्यालय की वेबसाइट एवं सूचना पट पर चस्पा की जायेगी, के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे।

3- विश्वविद्यालय नियमानुसार अमान्य संस्था से उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

4- प्रवेश समिति समस्त आवेदन पत्रों को उपलब्ध संसाधनों, सीटों की संख्या एवं कुमाऊँ विश्वविद्यालय से प्राप्त नियमों तथा शासन के निर्देश एवं मानकानुसार योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश संस्तुत करेगी।

5- प्रवेश समिति प्रवेश के लिए अर्ह प्रवेशार्थियों के साक्षात्कार के उपरान्त संस्तुत प्रवेशार्थियों की सूची प्राचार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। जिन प्रवेशार्थियों का प्रवेश प्राचार्य द्वारा स्वीकृत (verified) हो जायेगा, वे प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर शुल्क जमा करेंगे, तत्पश्चात् अगली मेधा सूची के विद्यार्थियों का प्रवेश वरीयता के अनुसार संस्तुत किया जायेगा।

6- बी.एड. में प्रवेश कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर तथा उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशों एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

7- प्रवेश योग्यता क्रम - योग्यता सूची के आधार पर दिया जायेगा और योग्यता क्रम के निर्धारण हेतु किसी भी प्रकार के आरक्षण के लाभ के लिए सम्बन्धित प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र जमा करते समय जमा होना अनिवार्य है, एक बार योग्यता सूची बन जाने के बाद आरक्षण के लाभ हेतु लाये प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होंगे.

8- प्राचार्य द्वारा गठित प्रवेश समिति प्रवेशार्थी द्वारा पूर्व में अर्जित अंकों/योग्यताओं एवं साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश संस्तुत करती है। (साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र के समस्त संलग्नकों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है)। चयनित प्रवेशार्थियों की सूची सूचना-पट पर लगा दी जायेगी। इस सूचना पर शुल्क जमा किये जाने सम्बन्धी अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित

प्रवेशार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त मानते हुए योग्यताक्रमानुसार निम्न प्रवेशार्थी का प्रवेश स्वीकृत कर दिया जायेगा.

9- प्रवेश शुल्क रसीद में प्रवेशार्थी द्वारा चयनित विषय अंकित होंगे। शुल्क रसीद परीक्षा आवेदन पत्र, पुस्तकालय कार्ड एवं छात्रवृत्ति आवेदन पत्र हेतु भी अनिवार्य है। अतः विद्यार्थी शुल्क रसीद को सुरक्षित रखें।

प्रवेश के नियम

- **स्नातक स्तर -** https://www.gpgcramnagar.org/admission-rule-2020-21
- **स्नातकोत्तर स्तर -** https://www.gpgcramnagar.org/admission-rule-2020-21

4. स्वप्रमाणित संलग्नकों की सूची:

1-समर्थ पोर्टल पर भरे गए प्रवेश आवेदन पत्र की छाया प्रति
2-हाईस्कूल / समकक्ष परीक्षा के अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
3- इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
4- अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा के अंकपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
5- अन्तिम शिक्षण संस्था से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C.) की मूल प्रति।
6- अन्तिम शिक्षण संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
7- यदि अर्हता परीक्षा, व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो तो राजपत्रित अधिकारी से सम्बन्धित अवधि का चरित्र प्रमाण पत्र।
8- यदि अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के बाद अध्ययन में अवरोध आया हो तो सन्दर्भित अवधि में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश न लिये जाने एवं किसी परीक्षा में सम्मिलित न होने सम्बन्धी शपथ पत्र (affidavit) की नोटरी द्वारा प्रमाणित मूल प्रति।
9- जाति सम्बन्धी आरक्षण के लाभार्थ तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।
10- वरीयता निर्धारण प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

5. प्रवेश शुल्क विवरण (Fee Structure Detail):

उपसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-**4**, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या **217406/24/XXIV-C-4 /**

2024-01 (11)/2019 (E-58313) दिनांक **11** जून **2024** के आधार पर शैक्षणिक सत्र **2026-27** अग्रनांकित छात्र शुल्क का निर्धारण किया गया है।

UG FIRST, THIRD & FIFTH SEM.

1. प्रायोगिक विषय रहित (**Without Practical subject**) - 1521/-
2. एक प्रायोगिक विषय सहित (**With One Practical subject**) - 1871/-
3. दो प्रायोगिक विषय सहित (**With Two Practical subject**) - 1921/-
4. तीन प्रायोगिक विषय सहित (**With Three Practical subject**) - 1971/-

PG FIRST & THIRD SEM

1. **M.A/M.Sc./M.Com (Without Practical subject) - 1528/-**
2. **M.A/M.Sc./M.Com (With Practical subject) - 1928/-**

* अतिरिक्त शुल्क (पाठ्यक्रम अनुसार)

* लघु शोध प्रबंध (**Dissertation fee**) होने पर अतिरिक्त रू० **300/-** शुल्क प्रति सेमेस्टर ।
* मौखिकि (**Viva voce**) होने पर अतिरिक्त रू० **50/-** शुल्क प्रति सेमेस्टर।

6-परिचय-पत्र नियम

महाविद्यालय द्वारा निर्गत एवं मुख्य शास्ता अथवा प्राचार्य द्वारा अधिकृत प्राध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित परिचय-पत्र महाविद्यालय परिसर में सदैव अपने पास रखना विद्यार्थी का कर्तव्य एवं दायित्व है। महाविद्यालय परिसर में परिचय-पत्र प्रस्तुत न कर पाना अनुशासनहीनता मानी जाती है। पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधाएँ परिचय-पत्र दिखाने पर ही उपलब्ध होंगी। बिना परिचय पत्र के छात्रसंघ निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग भी सम्भव नहीं होगा।

7- उपस्थिति नियम

शासनादेश संख्या **528(1) /15-(**उ.शि.) **1/97** दिनांक **11** जून **1997** के अनुसार महाविद्यालय का कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह लेक्चर/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक परीक्षाओं में पृथक-पृथक **75%** उपस्थिति पूरी नहीं करता।

बी०एड० के प्रशिक्षार्थियों की **80%** उपस्थिति अनिवार्य होगी। अन्यथा इसके अभाव में उन्हें सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा।

8- अनुशासन

अनुशासन मण्डल **(Proctorial Board)** द्वारा महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु समय-समय पर नियम बनाये जाते हैं, जिनका पालन छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य है। छात्र/छात्राओं के किसी भी अनुचित व्यवहार या अनुशासनहीनता की स्थिति में प्रॉक्टर विद्यार्थी को दण्डित, प्रवेश से वंचित एवं ब्लैकलिस्ट में रखकर प्राचार्य की अनुमति से निष्कासित कर सकते हैं। दुराचार एवं अनवरत प्रचार के दोषी विद्यार्थी को निलम्बित, दण्डित, निष्कासित तथा विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्था में संयमित, अनुशासित तथा परिष्कृत जीवन व्यतीत करें। नियमों एवं अपेक्षाओं की अवहेलना न करें। ऐसा कोई काम न करें जिससे शान्ति व्यवस्था या अनुशासन को धक्का लगे, या क्षति पहुँचे और जिससे महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।

छात्र / छात्राएं निम्नलिखित बातों पर प्रमुख ध्यान दें:

1. कक्षा व परिसर में धूम्रपान, तम्बाकू, पान, गुटखा, शराब आदि का सेवन न करें।

2. संस्थान के भवन व अन्य सामग्रियों को क्षति न पहुँचायें।

3. दीवारों, दरवाजों व मेजों पर न लिखें व उन पर इश्तिहार न लगायें।

4. शास्ता द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन न करें।

5. वचन व कर्म द्वारा हिंसा अथवा बल प्रयोग की धमकी न दें।

6. अन्य विद्यार्थियों के साथ अशिष्ट व्यवहार न करें।

7. कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार न करें।

8. ऐसा कोई भी कार्य करने की कुचेष्टा न करें, जिससे महाविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुँचे।

9. कक्षा कक्षों में मोबाइल न ले जायें। महाविद्यालय भवन में मोबाइल से तस्वीर खींचना एवं संगीत सुनना पूर्णतः वर्जित है।

10. महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे स्वच्छ बनाये रखने में सहयोग दें तथा महाविद्यालय भवन की दीवारों एवं चहारदीवारी पर पोस्टर आदि न चिपकायें।

11. महाविद्यालय में विद्यार्थी निर्धारित गणवेश में ही उपस्थित होवें। प्रायः यह देखा गया है कि विद्यार्थी नेकर, कैप्री, बरमूडा जैसी वेशभूषा पहनकर कॉलेज आते हैं, जो कि गरिमामय नहीं है।

9- रैगिंग - पाबन्दी

माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को एक गम्भीर अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी रैगिंग को अमानवीय, असामाजिक एवं अपराधिक कृत्य मानते हुए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किये हैं। इनके अनुपालन में महाविद्यालय में रैगिंग पर पूर्ण पाबन्दी सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय के प्राध्यापकों की एक 'रैगिंग विरोधी समिति' (Anti Ragging Committee) का गठन किया गया है। रैगिंग का तात्पर्य है लिखकर, बोल कर, हावभाव दिखाकर अथवा शारीरिक क्रिया से किसी विद्यार्थी को कष्ट पहुँचाना, किसी विद्यार्थी को भौतिक रूप से प्रताड़ित करना (नवनियुक्त एवं अपने से कनिष्ठ विद्यार्थियों को डराना, धमकाना, हतोत्साहित करना, उनके क्रिया-कलापों में अवरोध उत्पन्न करना, परेशान करना, मानसिक कष्ट पहुँचाना, उन्हें ऐसे कृत्य करने के लिए बाध्य करना जिन्हें वे सामान्य दशा में नहीं करते अथवा जिन्हें करके वे शर्मिन्दा होते हों, दुखी होते हों और ऐसा करके उनके भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो, तथा रैगिंग जैसे दुष्कृत्य को प्रेरित करना। रैगिंग में लिप्त पाये गये विद्यार्थी के विरुद्ध अपराध की गम्भीरता के अनुसार निम्नलिखित दण्डात्मक कार्यवाहियों का प्रावधान है: (1) प्रविष्टि निरस्तीकरण, (2) कक्षा से निलम्बन एवं परीक्षा देने पर प्रतिबन्ध, (3) छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं पर रोक, (4) छात्रावास से निष्कासन, (5) रू० 25,000-00 का जुर्माना, (6) संस्थान से निष्कासन एवं किसी अन्य संस्था में प्रवेश पर प्रतिबन्ध, (7) न्यायालय में मुकद्दमा चलाया जाना आदि।

10. शिक्षणेत्तर एवं पाठ्यसहगामी कार्यकलाप

विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु महाविद्यालय में निम्नलिखित शिक्षणेत्तर एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ संचालित की जाती है।

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना N.S.S. (National Service Scheme) —इसमें नियमित एवं विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिनमें विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्य, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्य करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना युवा शक्ति को देशहित एवं जनहित में लगाने एवं सामाजिक विषयों पर जनजागरण का माध्यम है।

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर N.C.C. (National Cadet Corps) —इसके अन्तर्गत छात्र एवं छात्राओं को अर्द्धसैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में महाविद्यालय में एन०सी०सी० की 79 UK Bn, Nainital तथा 24 Girls Bn, Almora की एक-एक इकाईयाँ कार्यरत हैं। जिसमें अधिकृत प्रवेश संख्या क्रमशः 105 तथा 55 कैडेट्स की है।

(3) रोवर्स एण्ड रेंजर्स (Rovers and Rangers) —यह स्काउट एण्ड गाइड की सीनियर शाखा होती है। महाविद्यालय में संचालित है।

(4) क्रीडा परिषद — महाविद्यालय में खेलकूद के स्तर में विकास एवं छात्रों की खेलों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के उद्देश्य से क्रीडा परिषद की स्थापना की गयी है। परिसर में विभिन्न खेल-कूद की सुविधा उपलब्ध है।

(5) कॅरियर काउन्सिलिंग सेल

महाविद्यालय में कॅरियर काउन्सिलिंग सेल की स्थापना की गयी है। जिसके अन्तर्गत छात्रों को रोजगार के अवसरों व क्षेत्रों में निःशुल्क जानकारी दी जाती है।

(6) सांस्कृतिक परिषद — प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाता है। इसकी कार्यकारिणी में प्रमुख भूमिका महाविद्यालय के सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में अभिरुचि रखने वाले छात्रों की रहती है। सांस्कृतिक परिषद विभिन्न अवसरों पर विविध कार्यक्रम तथा सत्रान्त में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गोष्ठी, परिचर्चा, वाद-विवाद प्रतियोगिता, नाटक, संगीत, नृत्य आदि प्रमुख हैं।

(7) महाविद्यालय पत्रिका — महाविद्यालय पत्रिका का प्रकाशन 'अभिव्यक्ति' के नाम से किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य छात्रों में लेखन प्रतिभा का विकास करना है। छात्रों को चाहिए कि वे अच्छी प्रेरणाप्रद रचनायें लिखें एवं उसे संकलन के लिए महाविद्यालय के पत्रिका सम्पादक को दे दें। सम्पादकों से रचना व लेख आदि के लिये परामर्श भी कर लेने चाहिये। इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्रों में से सम्पादक भी चुना जाता है। इसके लिये विशेष पुरस्कारों की व्यवस्था भी है। रचनाये देते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि रचनायें मौलिक रूप में ए-4 कागज पर केवल एक ओर उचित हाशिया छोड़कर सुलेखबद्ध होनी चाहिए।

(8) विभागीय परिषद - प्रत्येक विभाग में एक विभागीय परिषद होती है और उस विभाग के समस्त विद्यार्थी परिषद के सदस्य होते है। विभागीय परिषद के तत्वाधान में निबन्ध, वाद-विवाद प्रतियोगिता, विचार-गोष्ठी एवं अन्य उच्च स्तर के शिक्षण गतिविधियों के अन्तर्गत छात्रों के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि के लिये विभिन्न महत्वपूर्ण विषय पर योग्य विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किये जाते है।

11- छात्र संघ -

महाविद्यालय के समस्त संस्थागत छात्र/छात्राओं का छात्र संघ है, जिसके पदाधिकारियों का निर्वाचन प्रतिवर्ष लिंगदोह समिति के नियमों के अन्तर्गत कुर्मांचल के संविधान के अनुसार किया जाता है। छात्र-संघ के तत्वाधान में सांस्कृतिक परिषद के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

12- छात्रावास

महाविद्यालय में 80 छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में नियमित प्रवेश के बाद छात्रावास में मात्र एक सत्र के लिए प्रवेश हेतु प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जायेंगे। छात्रावास हेतु उन छात्रों को

प्राथमिकता दी जायेगी जिनके हाईस्कूल से अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा तक प्राप्तांकों का प्रतिशत उत्तम रहा है। अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व एवं बाद में एक वर्ष से अधिक वर्षों का अंतराल होने पर छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। छात्रावास में प्रवेश उन्हीं छात्रों को दिया जायेगा जिनका स्थायी निवास महाविद्यालय से 15 किमी० की परिधि के बाहर हो। जिस प्रार्थी के अभिभावक/पिता का मकान इस परिधि में आता हो उन्हें प्रवेश देय नहीं होगा। रोजगार में संलग्न अथवा व्यवसाय करने वाले छात्रों को प्रवेश देय नहीं होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्रों को नियमानुसार प्रवेश में आरक्षण दिया जायेगा। बशर्ते वे प्रवेश हेतु योग्यता रखते हों। जिन छात्रों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी शिकायत होगी/आचरण सन्तोषजनक समझा जायेगा, जो छात्र नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा अभियान में दण्डित किये गये हों या उक्त से सम्बन्धित न्यायालय में वाद चल रहा हो उन्हें प्रवेश देय नहीं है। यदि महाविद्यालय प्रशासन यह अनुभव करता है कि छात्र विशेष का प्रवेश छात्रावास के हित में नहीं है तो बिना कारण बताये उसके प्रवेश आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

13-अभिभावक-प्राध्यापक संगठन (पी०टी०ए०) 'विमर्श'

अभिभावकों, प्राध्यापकों, वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज के अन्य प्रबुद्ध सदस्यों का यह संगठन महाविद्यालय की विविध समस्याओं के निस्तारण एवं शैक्षणिक वातावरण के उत्तरोत्तर परिष्कार सम्बन्धी विमर्श हेतु स्थापित है। विमर्श का मुख्य उद्देश्य इस शिक्षण संस्था के प्रति वृहत्तर सामुदायिक धारणा का ज्ञान, अपनी सामर्थ्य एवं सीमा का रेखांकन तथा अपेक्षित परिवर्तन की दशा में अग्रसर होने सम्बन्धी संकेत प्राप्त करना।